भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2041

2 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास योजनाएं

2041. श्री अरूण भारती:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शुरू की गई कल्याण और पुनर्वास योजनाओं और उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष (आरएमडीएफ) के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ग) केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रमुख कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है और यह भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किस प्रकार लाभकारी है ; और

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं और उनके आश्रितों को प्रदान की गई कल्याण और पुनर्वास योजनाओं, वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) रक्षा मंत्री विवेकाधीन निधि का नाम बदलकर रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (आरएमईडब्ल्यूएफ) कर दिया गया है। रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि

(आरएमईडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के लिए भूतपूर्व सैनिक लाभार्थियों और उनके आश्रितों को प्रदान किए गए भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष	भुगतान की गई कुल राशि	लाभार्थियों की कुल संख्या
2021-22	395.69 करोड़ रुपए	182728
2022-23	248.17 करोड़ रुपए	98615
2023-24	366.54 करोड़ रुपए	172133

(ग) केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) के प्रमुख कार्यकलापों और यह भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किस प्रकार लाभकारी है, का विवरण **अनुबंध-॥** में दिया गया है।

(घ) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सिंगल विंडो ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र (सीपीजीआरएएमएस) शुरू किया गया था जिसमें कोई भी नागरिक पोर्टल पर एक सिंगल क्लिक करके शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है और संबंधित विभाग से जवाब प्राप्त कर सकता है । भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने भूतपूर्व सैनिकों को भी इस ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र (सीपीजीआरएएमएस/सीपीईएनजीआरएएमएस) की सुविधा प्रदान की ताकि भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से निवारण किया जा सके। सीपीजीआरएएमएस/सीपीईएनजीआरएएमएस वेबसाइट का लिंक भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, सीजीडीए और सभी पेंशन स्वीकृति-प्रदाता प्राधिकरणों की वेबसाइट पर भी दिया गया है ताकि भूतपूर्व सैनिक अपने घर से pgportal.gov.in पर क्लिक करके अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें । इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) की पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए दिनांक 14 जनवरी, 2022 को एक समर्पित पोर्टल (रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल) की शुरूआत की गई है । भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों की शिकायतों के निर्बाध निवारण को सुसाध्य बनाने के लिए एक टॉल-फ्री नंबर 1800111971 भी संचालित किया गया है।

"भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं" के बारे में लोकसभा में दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2041 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

1. रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (आरएमईडब्ल्यूएफ) के अंतर्गत सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि (एएफएफडीएफ) से प्रदान की गई वित्तीय सहायता/लाभः-

क्र.सं.	अनुदान	धनराशि (रुपये में)
(i)	पेन्युरी अनुदान (65 वर्ष और अधिक) (हवलदार रैंक तक गैर-पेंशनभोगी)	4,000/- रुपए प्रति माह (आजीवन)
(ii)	शिक्षा अनुदान (दो बच्चों तक) (i) स्नातक तक लड़के/लड़कियां (ii) स्नातकोत्तर के लिए विधवाएं (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) और दो बच्चों तक	1,000/- रुपए प्रति माह
(iii)	दिव्यांग बच्चों के लिए अनुदान (जेसीओ रैंक तक पेंशनभोगी/ गैर-पेंशनभोगी)	3,000/- रुपए प्रति माह
(iv)	पुत्री विवाह अनुदान (दो बेटियों तक) (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) *यदि विवाह विधिवत रूप में 21 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद हुआ हो।	50,000/- रुपए*
(v)	चिकित्सकीय उपचार अनुदान (हवलदार रैंक तक गैर-पेंशनभोगी)	50,000/- रुपए (अधिकतम)
(vi)	अनाथों के लिए अनुदान (सभी रैंक के पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) • भूतपूर्व सैनिकों की बेटियां जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता। • 21 वर्ष की उम्र तक भूतपूर्व सैनिकों का एक पुत्र	3,000/- रुपए प्रति माह
(vii)	विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)	50,000/- रुपए (एकमुश्त)

2. सभी रैंकों के गैर-पेंशनभोगी भूतपूर्व सैनिकों को एएफएफडी निधि से गंभीर बीमारियों के लिए अनुदानः-

(i)	नीचे दी गई सूची अनुसार **<u>गंभीर बीमारियाँ</u>**:- एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इम्प्लांट, रीनल इम्प्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सेरेब्रल स्ट्रोक। **<u>अन्य बीमारियां :</u>** जहाँ उपचार पर 1.00 लाख रु. से अधिक खर्च किया गया है।	अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों (पीबीओआर) के लिए क्रमश: कुल व्यय का 75% और 90%। अधिकतम एकमुश्त 1.50 लाख रुपये तक।
(ii)	डायलिसिस और कैंसर उपचार	प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 75,000/- रुपए मात्र तक अधिकारी और पीबीओआर के लिए क्रमशः कुल व्यय का 75% और 90%।

3. संशोधित स्कूटर अनुदान :एक लाख रुपये उन भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाते हैं जो सेवा के बाद 50% या उससे अधिक की निःशक्तता के साथ निःशक्त हुए हैं और जो आईएचक्यू (थलसेना, नौसेना एवं वायु सेना) के एजी ब्रांच की स्कीम के लाभार्थी नहीं हैं।

4. होम लोन पर सब्सिडी :केन्द्रीय सैनिक बोर्ड,युद्ध शोकग्रस्त, युद्ध में निःशक्त और शांतिकाल में हताहतों के लिए घर के निर्माण के लिए बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों से लिए गए होम लोन पर सब्सिडी देकर अधिकतम 1.00 लाख रुपए अर्थात् ब्याज के 50% की प्रतिपूर्ति करता है।

5. प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति स्कीम: पात्र बच्चों को मेरिट आधार पर पाठ्यक्रम की संपूर्ण अवधि के लिए कुल 5500 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति दरें इस प्रकार हैं :-

(क) लड़कों के लिए 2500/- रुपये प्रति माह।

(ख) लड़कियों के लिए 3000/- रुपये प्रति माह।

6.<u>भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में शामिल संस्थाओं को वित्तीय सहयोगः-</u>

क्र.सं.	संगठन	सहायक राशि/अनुदान की प्रमात्रा
(i)	<u>पैराप्लैजिक पुनर्वास केन्द्र</u> (i) किरकी (ii) मोहाली	स्थापना अनुदान (प्रतिवर्ष) (i) 1.20 करोड़ रु. (अप्रैल 2016 से) } 30,000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति संवासी (ii) 10,00,000/- रु. (अप्रैल 2015 से)
(ii)	अखिल भारतीय गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ, देहरादून	12,00,000/- रुपए प्रति वर्ष
(iii)	<u>चेशायर घर</u> (i) लखनऊ, दिल्ली और देहरादून	15,000/- रुपये प्रति वर्ष प्रति संवासी
(iv)	<u>युद्ध स्मारक छात्रावास</u> : 36 युद्ध स्मारक छात्रावास युद्ध विधवाओं/युद्ध में दिव्यांग, आरोप्य और गैर-आरोप्य मामलों के बच्चों को आश्रय देते हैं।	1350/- रुपए प्रति माह

7. भारत सरकार नामिती के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में सीटों का आरक्षण। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सैनिक बोर्ड को भारत सरकार नामिती के रूप में रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए कुल 42 एमबीबीएस सीटें और बीडीएस कोर्स में 3 सीटें आबंटित की जाती हैं। सैन्य कार्रवाई में दिवंगत हुए सैनिकों के प्रतिपाल्यों/विधवाओं को पहली प्राथमिकता दी जाती है ।

8. रेल यात्रा रियायत पहचान-पत्र : केएसबी सचिवालय युद्ध विधवाओं को रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करता है।

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा कार्यान्वित विभिन्न पुनर्वास योजनाओं का विवरण

क) भूतपूर्व सैनिकों को नए कार्यभार/नौकरियां देने के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल को उन्नत करना और पुन: रोजगार खोजने में उनकी सहायता करना।

ख) सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयास।

ग) कॉर्पोरेट क्षेत्र में ईएसएम के पुन: रोजगार की सुविधा के लिए सक्रिय कार्रवाई।

घ) स्व-रोज़गार हेतु निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से नौकरियाँ उपलब्ध कराना।

i. डीजीआर में ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से प्लेसमेंट सहायता।

ii. डीजीआर द्वारा प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजना

iii. ईएसएम कोयला लदान और परिवहन योजना।

iv. कोयला टिपर अटैचमेंट योजना।

v. विधवाओं और विकलांग सैनिकों के लिए टिपर अटैचमेंट योजना।

vi. एनसीआर/पुणे में ईएसएम द्वारा आईजीएल/एमएनजीएल सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधन।

vii. कंपनी स्वामित्व कंपनी संचालित खुदरा दुकानों का प्रबंधन।

viii. 8**%** आरक्षण कोटा के तहत तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापित एलपीजी/रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीज़ल) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए डीजीआर पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना।

ix. एनसीआर में मदर डेयरी मिल्क बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) की दुकानों का आवंटन।

x. डीजीआर तकनीकी सेवा योजना।

xi. पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम।

9. रोजगार में आरक्षण: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) में भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए रोजगार में आरक्षण का मौजूदा कोटा सभी सीधी भर्ती समूह 'ग' पदों में 14.5% और समूह 'घ' पदों की सभी सीधी भर्ती में 24.5% है। इसमें दिव्यांग ईएसएम और सैन्य कार्रवाई में मारे गए सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5% शामिल है।

"भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं" के बारे में लोकसभा में दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2041 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-2

केंद्रीय सैनिक बोर्ड, निम्नलिखित का आयोजन एवं संचालन करता है:-

1. केंद्रीय सैनिक बोर्ड और निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग/ सचि. राज्य सैनिक बोर्ड की बैठकें।
2. सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि की प्रबंधन समिति की वार्षिक बैठक।
3. सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि की कार्यकारी समिति की आवधिक बैठकें।
4. संबंधित एजेंसियों के साथ लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति।
5. भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण संबंधी मामलों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सैनिक कल्याण विभाग को नीतिगत निदेश प्रदान करना।
6. केंद्रीय सैनिक बोर्ड/रक्षा मंत्रालय के द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों में सैनिक कल्याण विभाग के कार्यकलापों की निगरानी और मार्गदर्शन करना।
7. सैनिक कल्याण विभाग और जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों की स्थापना एवं रख-रखाव लागत के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बजटीय सहायता प्रदान करना।
8. राज्य के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग/सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड के चयन हेतु स्थाई रूप से आयोजित की जाने वाली और जिला सैनिक कल्याण अधिकारी/सचिव, जिला सैनिक बोर्ड के लिए पद के रिक्त होने से एक माह पूर्व आयोजित की जाने वाली चयन समिति की बैठक में सदस्य के तौर पर भाग लेना।
9. प्रत्येक वर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सैनिक कल्याण विभाग का निरीक्षण करना तथा राज्य सरकार/रक्षा मंत्रालय को उनकी कार्य-प्रणाली संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
10. राज्यों में विशेष अतिथि के रूप में राज्य सैनिक बोर्ड और एकीकृत कोष बैठक में भाग लेना।
11. सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि का प्रबंधन (एएफएफडीएफ)।
12. भूतपूर्व सैनिक और दिवंगत सेना कर्मियों के परिवारों के कल्याण से संबंधित सुधार करना और शिकायतों का निपटान करना।
13. रक्षा मंत्रालय के कोटे के अंतर्गत मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरिंग सीटों को भरने के लिए योजनाओं का संचालन करना।

14. दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के विभागों में 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस एकत्रीकरण' का आयोजन और संचालन करना।
15. राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों और विदेश में भारतीय मिशन में एएफएफडी के संचालन हेतु झंडे, पोस्टरों और प्रचार संबंधी सामग्री उपलब्ध कराना।
16. केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जैसे आरएमईडब्ल्यूएफ (रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि) और प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन।
17. युद्ध विधवाओं को रेल यात्रा छूट प्रदान करने के लिए पहचान-पत्र जारी करना।
18. पीआरसी किरकी एवं मोहाली में स्थित पैराप्लैजिक घर, 36 युद्ध स्मारक छात्रावासों, चेशायर घरों और विभिन्न संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और इसके उचित वितरण की जांच के लिए निरीक्षण करना।
19. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा एकीकृत कोष के सही निवेश पर परामर्श देना।
20. कार्यात्मक और प्रभाविता को जांचने के लिए जिला सैनिक बोर्डों का यादृच्छिक निरीक्षण करना।
21. ईएसएम/विधवाओं/बच्चों के कल्याण से संबंधित ऊपर उल्लिखित सभी क्रियाकलापों का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना और पूरे देश में, 34 राज्य सैनिक बोर्डों और 413 जिला सैनिक बोर्डों के माध्यम से शिकायतों का निपटान करना।

*****